"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 353] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 सितम्बर 2016— भाद्रपद 25, शक 1938

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 जून 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-29/2008/25-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास अधीनस्थ सेवा (तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय) भर्ती नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

1. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 11 के कॉलम (6) की प्रविष्टियों में, शब्द "सहायक शिक्षक" के स्थान पर, शब्द "छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 'द'" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाये.

No. F 1-29/2008/25-1. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendent in the Chhattisgarh Scheduled Tribes and Scheduled Castes Development Sub-ordinate Service (Class-III-Non-Ministerial) Recruitment Rules, 2011, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. In the entries of column number (6) of serial number 11 of Schedule-II, for the words "Assistant Teacher", the words "Hostel Superintendent Grade 'D'" shall be substituted.

2. Serial number 7 and entries relating thereto of Schedule-IV shall be omitted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.